न्यायालय–सुकुल राम, अवर न्यायाधीश–1, नरकटियागंज

स्वत्व वाद सं0–56/2002

CIS No.- TS 231/2019

गुलाम रसुल एवं अन्य...वादीगण

बनाम

शेख एहसान अली एवं अन्य...प्रतिवादीगण

DATE	ORDER	REMARKS
21.07.2026	उभय पक्षों की ओर से पैरवी है। वादीगण की तरफ से एक आवेदन दिनांक 12.06.2026 अंदर आदेश 22 नियम 03 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत दाखिल किया गया जिसका प्रतिउत्तर प्रतिवादीगण द्वारा दाखिल नहीं किया गया। वादीगण का आवेदन आज दिनांक 21.07.2026 को आदेश हेतु नियत है। वादीगण के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते है कि प्रस्तुत वाद के वादी सं0–01 गुलाम रसुल दिनांक 08.05.2026 को अपने पीछे पत्नी, 6 पुत्र वो 5 पुत्रियों को छोड़कर वफात कर गए। उक्त वाद में गुलाम रसुल का नाम कलमजद कर उनके विधिक वारिशानों को उनके जगह पर प्रतिस्थापित करना न्यायहित में आवश्यक है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि उपरोक्त तथ्यों के आलोक में वादी सं0–01 गुलाम रसुल का नाम कलमजद करते हुए उनके विधिक वारिशानों का नाम आवेदनानुसार मुन्दर्ज करने का आदेश देने की कृपा प्रदान किया जाए। प्रतिवादीगण की ओर से वादीगण के आवेदन का प्रतिउत्तर दाखिल नहीं किया गया लेकिन मौखिक विरोध किया गया एवं आवेदन खारिज होने योग्य बताया गया। उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद के वादी सं0–01 गुलाम	

न्यायालय–सुकुल राम, अवर न्यायाधीश–1, नरकटियागंज

स्वत्व वाद सं0–56/2002

CIS No.- TS 231/2019

गुलाम रसुल एवं अन्य...वादीगण

बनाम

शेख एहसान अली एवं अन्य...प्रतिवादीगण

लगातार **21.07.2026**	रसुल की मृत्यु दिनांक 08.05.2026 को हो गई है। तथा अब इनके विधिक वारीसानों को न्यायहीत में प्रतिस्थापित करना आवश्यक है। अतः न्यायहीत में वादीगण का आवेदन दिनांक 12.06.2026 को स्वीकृत किया जाता है एवं वादीगण को निर्देश दिया जाता है कि समय–सीमा के अंदर वाद पत्र से वादी सं0–01 गुलाम रसुल का नाम कलमजद करते हुए उनके विधिक वारिसानों का नाम आवेदनानुसार प्रतिस्थापित करें। आगामी दिनांक 18.08.2026 वास्ते उपस्थिति हेतु नियत किया जाता है। लेखापित अवर न्यायाधीश–1 नरकटियागंज	